प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/परिकल्प एवं नियोजन/यांत्रिक,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 9 अक्टूबर, 2017

विषय : शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1137/12-27-सिं-3-27 विविध/17, दिनांक 14-08-2017 के क्रम में अपने पत्र संख्या-3337/प्र0अ0/अनु0प्रको0/ई-टेण्डरिंग, दिनांक 13-09-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भगत पत्र दिनांक 13-09-2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ई-टेण्डरिंग प्रणाली में कार्यों की निविदायें वेबसाइट के माध्यम से डाली जाती हैं तथा सम्बन्धित मूल अभिलेख जैसे प्रतिभूति धनराशि आदि लेटर बॉक्स में भी निर्धारित तिथि को डाले जाते हैं तथा निविदा बॉक्स में मूल अभिलेख डालने से निविदादाता को असामाजिक तत्वों द्वारा रोका जाता है और निविदा की प्रक्रिया बाधित होती है तथा कार्यों में अनावश्यक रूप से विलम्ब भी होता है।

3- उक्त घटनाओं की रोकथाम करने व निविदा प्रक्रिया को निबार्धितरूप से सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ई-टेण्डरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कापी व प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रान्जैक्शन नं0 को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगे। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूमि धनराशि मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जाए तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जाये।

4- अत: अनुरोध है कि कृपया शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मोहम्मद शाहिद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।